संख्या-3/2015/सा-3-187/दस-2015-301(13)/2012

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक: 12 मार्च, 2015

विषय:- नई पेंशन योजना (नेशनल पेंशन सिस्टम-एन0पी0एस0) से आच्छादित बाह्य सेवा पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों का पेंशनरी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो नई पेंशन योजना (नेशनल पेंशन सिस्टम-एन0पी0एस0) से आच्छादित है तथा जिनकी तैनाती प्रतिनियुक्ति पर किसी सार्वजनिक उपक्रम/निगम/ स्वायत्तशासी संस्था आदि में होती है, के संबंध में अधोलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1)- प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में तैनात सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के मामलों में एन0पी0एस0 हेतु डी0डी0ओ0 का कार्य जनपद के मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी सरकारी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अभिदाता पंजीकरण फॉर्म नहीं भरा गया है तो यह फॉर्म जनपद के मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 को भेजा जायेगा। प्रान आवंटित होने पर उसे मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी के डी0डी0ओ0 कोड से लिंक किया जायेगा। यदि प्रान पूर्व से ही आवंटित है तो प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए प्रान मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी के डी0डी0ओ0 कोड से लिंक किया जायेगा।

(2)- जहॉ बाह्य सेवा पर तैनाती से पूर्व की अवधि का पेंशनरी अंशदान न जमा हुआ हो:-

इन मामलों में यदि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को प्रान आवंटित चुका है तो बाह्य सेवा पर तैनाती से पूर्व की अवधि के एक माह के लिए अभिदाता

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अंशदान की राशि चालू माह के वेतन से बाह्य सेवायोजक द्वारा चालू माह के अंशदान के साथ काटी जायेगी। चालू माह का नियोक्ता अंशदान बाह्य सेवायोजक द्वारा दिया जायेगा तथा पूर्व की अवधि के लिए नियोक्ता अंशदान का भुगतान प्रथमत: बाह्य सेवायोजक द्वारा किया जायेगा परन्तु इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बाह्य सेवायोजक द्वारा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के पूर्ववर्ती विभाग के माध्यम से निदेशक, पेंशन से प्राप्त की जायेगी। सुविधा की दृष्टि से प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रत्येक 06 माह पर करायी जायेगी।

(3)- जहॉ सरकारी अधिकारी / कर्मचारी की बाह्य सेवा की अवधि में पेंशनरी अंशदान की कटौती न हुई हो:-

ऐसे मामलों में जहॉ कोई सरकारी अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर किसी सार्वजनिक उपक्रम/ निगम/ स्वायत्तशासी संस्था आदि में तैनात रहा हो तथा उस अवधि के लिए अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान जमा न हुआ हो, तैनाती के वर्तमान सरकारी विभाग द्वारा बाह्य सेवा की सम्पूर्ण छूटी हुई अवधि के लिए नियोक्ता अंशदान की धनराशि बाह्य सेवायोजक से एक मुश्त राजकोष में जमा करा ली जायेगी। परन्तु यदि किसी मामले में बाह्य सेवायोजक द्वारा धनराशि जमा किये जाने में विलम्ब किया जाता है तो भी उक्त छूटी हुई अवधि के लिए नियोक्ता अंशदान का भुगतान उसी भॉति कर दिया जायेगा मानों संबंधित कर्मचारी उक्त अवधि में अपनी तैनाती के वर्तमान कार्यालय में ही तैनात रहा हो, तथा उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति संबंधित बाह्य सेवायोजक से तैनाती के वर्तमान विभाग द्वारा करायी जायेगी। छूटी हुई अवधि के लिए अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की कटौती शासनादेश संख्या-सा-3-1051/दस-2008-301(09)/ 2003, दिनॉक 14 अगस्त, 2008 के प्रस्तर-2(5) में दी गयी प्रक्रियानुसार की जायेगी।

(4)- बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के मामलों में अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि बाह्य सेवायोजक द्वारा इस शासनादेश के संलग्न चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करायी जायेगी। डाटा अपलोड की कार्यवाही शासनादेश संख्या-सा-3-1067/दस-2011/301(9)2011, दिनॉक 15 सितम्बर, 2011 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार जनपद के कोषागार के माध्यम से की जायेगी। लखनऊ जनपद में स्थित बाह्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सरकारी कार्मिकों के संबंध में कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ तथा इलाहाबाद जनपद में स्थित बाह्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सरकारी कार्मिकों के

--3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंध में कोषागार, इन्दिरा भवन, इलाहाबाद द्वारा कार्यवाही की जायेगी। फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही उक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था के अनुसार निदेशक, पेंशन द्वारा की जायेगी।

(5)- इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु निदेशक, कोषागार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य एकक, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ से सम्पर्क कर ट्रेजरी सॉफटवेयर में यथेष्ट परिवर्तन/ संशोधन कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,
(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या-3/2015/सा-3-187(1)/दस-2014-301(13)/2012, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य एकक, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य / वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7- सहायक उप अध्यक्ष, एन0एस0डी0एल0, चतुर्थ तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बाप्त मार्ग, लोवर पैरल, मुम्बई-400013

आज्ञा से,
(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश संख्या-3/2015/सा-3-187/दस-2015-301(13)/2012, दिनॉक: 12 मार्च, 2015 का संलग्नक**

# challan form for NPS

(In respect of Govt. Employees on deputation)

Employees Contribution

Distt Name :

Deptt. Name:

Depositor Name:

Pran No.:

DDO Code of Treasury Officer

DDO Registration No.

Head of A/C :

| Emloyees contribution | Current Month & Year | Current Amount | Arrear Month & Year | Arrear Amount |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

---

Employer's Contribution

Distt Name :

Deptt. Name:

Depositor Name:

Pran No.:

DDO Code of Treasury :
Officer

DDO Registration No. :

Head of A/C :

| Emloyees contribution | Current Month & Year | Current Amount | Arrear Month & Year | Arrear Amount |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Total Amount_____
(Inclusive of Employee's Contribution and Employer's Contribution)

(signature of Depositor)

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।